

प्रेस नोट

जनपद – संतकबीरनगर

दिनांक 27.10.2026

“ऑपरेशन कन्विकशन” अभियान के तहत संतकबीरनगर पुलिस की सशक्त व प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मारपीट करने के मामले में 03 अभियुक्तों को न्यायालय उठने तक की अभिरक्षा व कुल 9000 रुपये के अर्थदण्ड से किया गया दण्डित

पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर श्री संदीप कुमार मीना के निर्देशन में चलाए जा रहे “ऑपरेशन कन्विकशन” अभियान के दृष्टिगत संतकबीरनगर पुलिस के द्वारा गुणवत्तापूर्ण विवेचना तथा अभियोजन द्वारा प्रभावी पैरवी के क्रम में दिनांक 26.10.2026 को मा0 न्यायालय सी0जे0(एस0डी0)/ए0सी0जे0एम0 जनपद संतकबीरनगर द्वारा 03 अभियुक्तों को न्यायालय उठने तक की सजा व कुल 9000 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

घटना विवरण:-

दिनांक 12.03.2006 को वादी मुकदमा जगदीश पुत्र रामलाल गुप्ता निवासी नवधवा थाना बखिरा जनपद संतकबीरनगर द्वारा अभियुक्तगण 01. मगरु पुत्र सुखू गुप्ता 02. बुद्धिराम पुत्र खेदुराम गुप्ता 03. सर्वजीत पुत्र वीपत निवासीगण नवधवा थाना बखिरा जनपद संतकबीरनगर के विरुद्ध वादी व बहन तथा माता को दिनांक 12.03.2006 को गाली गलौज व धमकी देते हुए मारने पीटने के सम्बन्ध में थाना बखिरा पर प्रार्थना पत्र देकर अभियोग पंजीकृत कराया गया था। विवेचक उ0नि0 श्री बैजनाथ प्रसाद द्वारा साक्ष्य संकलन के आधार पर आरोप पत्र मा0 न्यायालय प्रेषित किया गया था।

सजा विवरण:-

एनसीआर नं0 39/2006 धारा 323, 504, 506 भादवि थाना बखिरा से सम्बन्धित अभियुक्तगण उपरोक्त को मा0 न्यायालय द्वारा जुर्मस्वीकार के आधार पर न्यायालय उठने तक की अभिरक्षा व (3000-3000) रुपये कुल 9000 रु0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। अर्थदण्ड अदा न करने पर 30-30 दिवस का साधारण कारावास भुगतना होगा।

प्रेस नोट

जनपद – संतकबीरनगर

दिनांक 27.10.2026

पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर के निर्देशन में थाना कोतवाली खलीलाबाद पुलिस द्वारा कार्यवाही करते हुए नाबालिग को शादी का झांसा देकर बहला फुसलाकर भगा ले जाने व दुष्कर्म करने के मामले में वांछित अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार

पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर श्री संदीप कुमार मीना द्वारा अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर श्री सुशील कुमार सिंह के मार्गदर्शन एवं क्षेत्राधिकारी खलीलाबाद श्री प्रियम राजशेखर पाण्डेय के पर्यवेक्षण में प्रभारी निरीक्षक थाना कोतवाली खलीलाबाद श्री जय प्रकाश दुबे की गठित टीम द्वारा थाना कोतवाली खलीलाबाद पर पंजीकृत मु0अ0सं0 873/2026 धारा 137(2)/123/64(2)(M) /351(2) बीएनएस व 5L /6 पाक्सो एक्ट के मामले में वांछित अभियुक्त नाम पता अजय चौधरी पुत्र बाबूलाल चौधरी निवासी ग्राम कालीजगदीशपुर थाना महुली जनपद संतकबीरनगर को वन विभाग तिराहे के पास से गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

विदित हो कि वादिनी द्वारा दिनांक 17.09.2026 को थाना कोतवाली खलीलाबाद पर वादिनी की नाबालिग पुत्री को अभियुक्त उपरोक्त द्वारा शादी का झांसा देकर बहला फुसलाकर भगा ले जाने व दुष्कर्म करने के मामले में प्रार्थना पत्र देकर अभियोग पंजीकृत कराया गया था। थाना कोतवाली खलीलाबाद पुलिस द्वारा साक्ष्य संकलन के आधार पर मुकदमा उपरोक्त में महिला अपराध की संवेदनशीलता को देखते हुए, त्वरित कार्यवाही करते हुए आज दिनांक 27.10.2026 को उक्त अभियुक्त को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

गिरफ्तार करने वाले पुलिस बल का विवरण- प्रभारी निरीक्षक जयप्रकाश दूबे, हे0का0 मोहन कुमार, का0 भूपेन्द्र प्रताप सिंह, म0का0 अंजूलता, म0का0 खुशी ।

पुलिस अधीक्षक जनपद संतकबीरनगर के निर्देशन में थाना धनघटा पुलिस द्वारा कार्यवाही करते हुए नाबालिग को बहला फुसलाकर भगा ले जाने के मामले में वांछित बाल अपचारी को किया गया निरुद्ध

पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर श्री संदीप कुमार मीना द्वारा चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत, अपर पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर श्री सुशील कुमार सिंह के मार्गदर्शन व क्षेत्राधिकारी धनघटा श्री अभयनाथ मिश्रा व प्रभारी निरीक्षक थाना धनघटा श्री अजय कुमार सिंह के निकट पर्यवेक्षण में थाना धनघटा पर पंजीकृत मु0अ0सं0 714/2026 धारा 87,137(2) बीएनएस में वांछित बाल अपचारी को नियमानुसार निरुद्ध कर मा0 बाल न्यायालय रवाना किया गया।

घटना का संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 26.10.2026 को वादिनी द्वारा तहरीर दी गयी कि उक्त बाल अपचारी द्वारा वादिनी की नाबालिग पुत्री को बहला फुसलाकर भगा ले जाने के मामले में प्रार्थना पत्र देकर अभियोग पंजीकृत कराया गया था। घटना के सम्बन्ध में थाना धनघटा पर उपरोक्त अभियोग पंजीकृत किया गया। थाना धनघटा पुलिस द्वारा अपराध की संवेदनशीलता को देखते हुए त्वरित कार्यवाही कर आज दिनांक 27.10.2026 को वांछित बाल अपचारी को नियमानुसार निरुद्ध कर मा0 बाल न्यायालय रवाना किया गया।

निरुद्ध करने वाली पुलिस टीम- उ0नि0 श्री विनोद कुमार यादव, का0 देवेन्द्र वर्मा।

पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर के निर्देशन में थाना कोतवाली खलीलाबाद पुलिस द्वारा कार्यवाही करते हुए अवैध पटाखों का भण्डारण करने वाला 01 अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से 735 किलोग्राम अवैध पटाखे बरामद

पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर **श्री संदीप कुमार मीना** के निर्देशन में जनपद में अवैध पटाखों के निर्माण, भण्डारण, बिक्री एवं परिवहन के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर **श्री सुशील कुमार सिंह** के मार्गदर्शन में, क्षेत्राधिकारी खलीलाबाद **श्री प्रियम राजशेखर पाण्डेय** के पर्यवेक्षण में प्रभारी निरीक्षक थाना कोतवाली खलीलाबाद **श्री जय प्रकाश दुबे** के नेतृत्व में गठित पुलिस टीम द्वारा प्रभावी कार्यवाही की गयी।

दिनांक 26.10.2026 को थाना कोतवाली खलीलाबाद पुलिस टीम द्वारा क्षेत्र में गश्त व चेकिंग के दौरान मुखबिर की खास सूचना पर कार्यवाही करते हुए अभियुक्त रमेश पुत्र स्व० राम शंकर निवासी चकदही थाना कोतवाली खलीलाबाद जनपद संतकबीरनगर को गिरफ्तार किया गया तथा अभियुक्त के कब्जे से कुल 735 किलोग्राम अवैध पटाखे बरामद किए गए। **उक्त बरामदगी के सम्बन्ध में थाना कोतवाली खलीलाबाद पर मु०अ०सं० 974/2026 धारा 288 बीएनएस एवं धारा 9(ख) विस्फोटक अधिनियम 1884 के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया।**

अभियुक्त का विवरण-

रमेश पुत्र स्व० राम शंकर निवासी चकदही थाना कोतवाली खलीलाबाद जनपद संतकबीरनगर।

बरामदगी का विवरण-

01. विभिन्न प्रकार के अवैध पटाखे (कुल वजन 735 किलोग्राम)।

गिरफ्तारी टीम का विवरण- उ०नि० श्री देवव्रत शर्मा, उ०नि० श्री अनिल कुमार यादव, का० बलराम यादव, का० सत्यम सिंह, का० गिरजेश उपाध्याय, का० प्रशांत विक्रम सिंह, का० विशाल सिंह।

पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर के निर्देशन में थाना मेंहदावल पुलिस द्वारा कार्यवाही करते हुए अवैध पटाखों का भण्डारण करने वाला 01 अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से 600 किलोग्राम अवैध पटाखे बरामद

पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर श्री संदीप कुमार मीना के निर्देशन में जनपद में अवैध पटाखों के निर्माण, भण्डारण, बिक्री एवं परिवहन के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर श्री सुशील कुमार सिंह के मार्गदर्शन में, क्षेत्राधिकारी मेंहदावल श्री सर्वद्वन सिंह के पर्यवेक्षण में प्रभारी निरीक्षक थाना मेंहदावल श्री राकेश कुमार सिंह के नेतृत्व में गठित पुलिस टीम द्वारा प्रभावी कार्यवाही की गयी।

दिनांक 27.10.2026 को थाना मेंहदावल पुलिस टीम द्वारा क्षेत्र में गश्त व चेकिंग के दौरान मुखबिर की खास सूचना पर कार्यवाही करते हुए अभियुक्त अभिषेक मद्धेशिया पुत्र बैजनाथ मद्धेशिया निवासी मो0 बहबोलिया न0पं0 मेंहदावल थाना मेंहदावल जनपद संतकबीरनगर को गिरफ्तार किया गया तथा अभियुक्त के नायक टोला स्थित गोदाम से कुल 600 किलोग्राम अवैध पटाखे बरामद किए गए। उक्त बरामदगी के सम्बन्ध में थाना मेंहदावल पर मु0अ0सं0 437/2026 धारा 288 बीएनएस एवं धारा 9(ख) विस्फोटक अधिनियम 1884 के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया।

अभियुक्त का विवरण-

अभिषेक मद्धेशिया पुत्र बैजनाथ मद्धेशिया निवासी मो0 बहबोलिया न0पं0 मेंहदावल थाना मेंहदावल जनपद संतकबीरनगर।

बरामदगी का विवरण-

01. विभिन्न प्रकार के अवैध पटाखे (कुल वजन 600 किलोग्राम)।

गिरफ्तारी टीम का विवरण- उ0नि0 श्री लीला यादव, हे0का0 कामेश्वर सिंह, हे0का0 मुरली मनोहर, का0 उदयप्रताप सिंह, का0 अनुराग कुमार सिंह।